ऑन लाईन नं. **RCMS 2018/00029**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 03/2018

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी हुणतपुरा, तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बींझबायला, तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।
2. रामस्वरूप पुत्र श्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. पवन पुत्र श्री तेजभान निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व सरपंच ग्राम पंचायत बींझबायला पंचायत समिति पदमपुर द्वारा अनावेदक संख्या 2 व 3 को स्वअर्जित पट्टे के आधार पर दुकान संख्या 4 व वाके चक बींझबायला की आवंटन की गई, बमुराद मन्सुख्यिा।

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01
3. श्री विक्रम पूनिया,प्रहलाद राय रेवाड,श्रीमती दुर्गा देवी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3

:: **आदेश** :: **दिनांक: 15.02.2021**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ने व उसकी माता बिमला देवी पत्नी पृथ्वीराज के नाम से दुकान नम्बर 22 व 23 मण्डी बींझबायला साईज 10X30 , 10X30 फुट रजिस्ट्री शुदा आवंटन है जिसका नक्शे के अनुसार दुकान के आगे राज्य सरकार के अनुसार नक्शा जो प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसमें सार्वजनिक गली जो A से B दिखाई गई है कि चौडाई 30 फुट है। आवेदक व उसकी माता को नुकसान पहुंचाने की गरज से नया नक्शा बनाकर आवेदक व उसकी माता की दुकान के आगे 30 फुट गली को 20 फुट दर्शाते हुए अनावेदक संख्या 2 व 3 को दुकान नम्बर 4 व 5 बिना किसी सुनवाई के आवंटन कर दी गई, जबकि ग्राम पंचायत अनावेदक संख्या 1 को किसी प्रकार से पूर्व में नक्शे के अनुसार ही कार्यवाही करनी चाहिए थी और गली को 10 फुट कम करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 के अनुसार गली आदि के अधिकार राज्य सरकार के पास है। पंचायत को या अन्य किसी अधिकारी को गली का साईज कम करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक व उसकी माता को नुकसान पहुंचाने की गरज से अनावेदक संख्या 2 व 3 को 10 फुट गली कम करते हुए दुकान संख्या 4 व 5 को आवंटन किया है। इस प्रकार की कार्यवाही पंचायत द्वारा पूर्णतः पंचायत अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत यदि कोई पंचायत या उसके अन्य अधिकारी विधि विरूद्व करते है उनकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी, उसकी परीक्षण कर सकेगी। इस प्रकार माननीय न्यायालय को यह स्वयं अधिकार है कि अनावेदक संख्या 1 द्वारा अनावेदक सख्या 2 व 3 को दुकान नम्बर 4 व 5 जो बिना क्षत्राधिकार के गली का हिस्सा आवंटन किया गया है। आवंटन करने का क्षेत्राधिकार नहीं

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

था। इसलिए आवेदक के पास उक्त निगरानी प्रस्तुत करने के अलावा ओर कोई विकल्प नही है। आवेदक द्वारा विकास अधिकारी व उपजिलाधीश के यहां भी समय समय पर शिकायत की गई कि अनावेदक संख्या 2 व 3 विवादित दुकान का निर्माण कर रहे है जिसको रोका जावे, परन्तु उन द्वारा निर्माण की कार्यवाही को नहीं रोका गया है। आवेदक निवेदन करता है कि यदि अनावेदक संख्या 2 व 3 उक्त आवंटन शुदा दुकान का निर्माण कर लेते है तो आवेदक को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार से आवेदक की दुकान की कीमत भी स्वतः ही कम हो गई क्योंकि गली की जगह 30 फुट की बजाय 20 फुट रह गयी है। इस प्रकार पंचायत की कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्व है। गली पूर्व के नक्शे के अनुसार 30 फुट की जावे जो ए से बी दर्शाई गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बींझबायला द्वारा अनावेदक संख्या 2 व 3 को दुकान नम्बर 4 व 5 जो गली की जगह की है, गली 30 फुट से 20 फुट करके की गई है को अपास्त किया जावें और पंचायत द्वारा पूर्ण रिकॉर्ड तलब किया जावे और रिकॉर्ड के पश्चात पंचायत द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के गली को 30 फुट की बजाय 20 फुट की गई है के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक व उसकी माता बिमला देवी पत्नी पृथ्वीराज के नाम से दुकान नम्बर 22 व 23 मण्डी बींझबायला साईज 10X30 , 10X30 फुट रजिस्ट्री शुदा आवंटन है। जिसमें सार्वजनिक गली जो A से B दिखाई गई है कि चौड़ाई 30 फुट है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने दुकान के आगे 30 फुट गली को 20 फुट दर्शाते हुए गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 को दुकान नम्बर 4 व 5 बिना किसी सुनवाई के आवंटन कर दी ,जबकि ग्राम पंचायत गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को किसी प्रकार से गली को 10 फुट कम करने का कोई अधिकार नहीं था। पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत को या अन्य किसी अधिकारी को गली का साईज कम करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पचायत बीझबायला द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 को दुकान नम्बर 4 व 5 जो गली की जगह की है, गली 30 फुट से 20 फुट करके की गई है को अपास्त किया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 रामस्वरूप ने जरिये रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 27.06.2011 को दुकान संख्या 5 साईज 10X35 फुट कॉर्नर बेचानकर्ता नरेश पुत्र राजाराम से खरीदशुदा है जिसका इन्तकाल प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.07.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 रामस्वरूप के नाम पचायत रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। उक्त दुकान संख्या 5 साईज 10X35 फुट कॉर्नर पचायत नक्शा में दर्शायी गई है। पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के द्वारा निर्माण किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण द्वारा विद्युत कनैक्शन भी स्वयं के नाम से लेकर उक्त जगह दुकान चला रहे है। प्रार्थी /निगरानीकर्ता ने स्वयं अपनी दुकान के आगे अतिकमण कर रखा है जिस कारण गली संकरी हो गई है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के समक्ष एक मुकदमा अनवानी नेतराम वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा मुकदमा नं.6/17 अनवानी ने अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी का भी पेश किया जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोनों पक्षकारों को विधिवत् रूप से सुनवाई कर दिनांक 18.01.2018 को निर्णय किया तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर द्वारा अप्रार्थी सख्या 2 व 3 के निर्माण एवं पंचायत रिकॉर्ड को सही माना था। विकास अधिकारी, पदमपुर के समक्ष दिनांक 22.12.2017 को अतिकमण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें निर्माण नक्शा पैमाईश करने पर अपने निर्धारित स्थान पर निर्माण करना पाया गया जिसमें दुकान के दक्षिण में गली 30 फुट व पश्चिम में गली 20 फुट मौका पर छोड रखी है और

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा कोई अतिक्रमण करना नहीं पाया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दुकान नम्बर 4 व 5 के आवंटन के सम्बन्ध में गलत आवंटन होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के रजिस्टर्ड बैयनामों को किसी सिविल न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई, यदि आवंटन गलत था तो निगरानीकर्ता को सिविल न्यायालय में आवंटन के विरूद्व चुनौती पेश करने का समय था लेकिन श्रीमान न्यायालय के समक्ष सही तथ्य छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के निर्माण एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यालय ग्राम पंचायत बींझबायला द्वारा कभी कोई नोटिस ही नहीं दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा विकास अधिकारी, पदमपुर एवं उपजिलाधीश के समक्ष समय–समय पर शिकायत दर्ज करना भी बताया गया है जबकि प्रार्थी ने इन्ही तथ्यों के आधार पर 133 सीआरपीसी का मुकदमा उपखण्ड न्यायालय, पदमपुर के समक्ष पेश किया को छुपाकर निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता के हित प्रभावित नहीं होते है और ना ही निगरानीकर्ता को किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित नहीं हुआ है बल्कि निगरानीकर्ता स्वयं अतिक्रमणकारी है जब अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने निगरानीकर्ता को प्रार्थी की दुकान के आगे किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए निवेदन किया जिससे रंजिशवंश निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा पेश निगरानी मियाद के बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि कार्यालय ग्राम पंचायत बींझबायला के रिकॉर्ड अनुसार ही दिनांक 27.06.2011 को दुकान क्रय कर निर्माण किया गया है और निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी वर्ष 2018 में प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत बींझबायला द्वारा विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार दुकान का आवंटन किया गया है तथा खरीद से ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज है, जिस बाबत निगरानीकर्ता को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर अर्ज है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीझंबायला द्वारा अपने पत्रांक 62 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रस्तुत नक्शा को देखने पर प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ही गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 को दुकान संख्या 4 व 5 का आवंटन जो किया गया है विधिविरूद्व है क्योंकि ग्रा.म पंचायत अपने स्तर पर नक्शा में किसी प्रकार हस्ताक्षेप करने का क्षैत्राधिकार नहीं रखती है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गली की जगह जो आवंटन किया गया नियम विरूद्व है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 को मण्डी बींझबायला में दुकान संख्या 04 व 05 जो गली की जगह का पट्टे जारी किये गये को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर